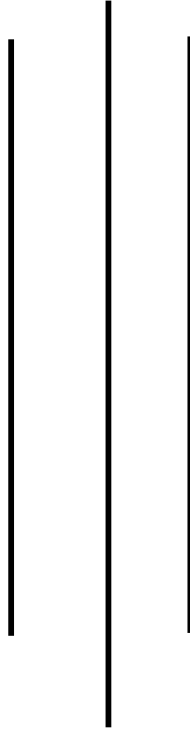




झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका



विज्ञापन संख्या— 06 / 2025

झारखण्ड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025 (बैकलॉग)

JAJCE-2025 (Backlog)

- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या— 2993 दिनांक—23.05.2025 द्वारा अग्रसारित गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक— 2880 दिनांक—13.05.2025 द्वारा संसूचित सहायक कारापाल के आरक्षित वर्ग के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए विहित प्रपत्र में “झारखण्ड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025” के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाइट <https://jssc.jharkhand.gov.in> पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्क:-

परीक्षा शुल्क रु. 100 /—(एक सौ रुपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट:- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु. 50 /— (पचास रुपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

3. रिक्तियों का विवरण :-

क्र. सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या					
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकुद कोट	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्ता	चलन निःशक्ता या स्टेरल पालसी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्ता एवं बहु निःशक्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सहायक कारापाल	1. अनारक्षित	00	00	00	विभागीय अधिसूचना संख्या-1686 दिनांक-12.03.2025 के आलोक में शारीरिक रूप से अशक्त (दिव्यांग) अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।			
		2. अ. ज. जा.	01	00					
		3. अ. जा.	01	00					
		4. अ. पि. व. (अनु-I)	01	00					
		5. पि. व. (अनु-II)	00	00					
		6. आ. क. व.	00	00					
		योग :-	03	00	00				

➤ कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध पर संशोधित की जा सकती है।

4. सहायक कारापाल के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए कुल 42 पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-05/2025 प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन संख्या-06/2025 एवं 05/2025 के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ एक ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑन लाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापनों के लिए एक साथ आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं वैसी स्थिति में भी उन्हें एक परीक्षा शुल्क देना होगा।

इन दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा "झारखण्ड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025" आयोजित की जायेगी।

5. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें की वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

सहायक कारापाल पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

क्र. सं.	पदनाम एवं वर्गीकरण	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1.	सहायक कारापाल (समूह- 'ग' अराजपत्रित)	पे मैट्रिक्स लेवल-5, 29200 – 92300	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

- (i) अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तम्भ 04 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।
- (ii) खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी- 'ग' के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

क्र. सं.	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
----------	---------------------	---------

1	2	3
1.	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	द्वितीय/तृतीय स्थान
2.	झारखण्ड ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैम्पियनशीप।	प्रथम स्थान
3.	राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी।	राष्ट्रीय रिकार्ड

नोट:- उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 आयोग के वेबसाईट <https://jssc.jharkhand.gov.in> पर उपलब्ध है।

6. शारीरिक माप :-

सहायक कारापाल के लिए

क्र. सं.	आरक्षण कोटि	ऊँचाई (से.मी.)	सीना (फूलाकर)
1	2	3	4
1.	अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु.-1), पिछड़ा वर्ग (अनु.-2) एवं आ. क. वर्ग	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81 से.मी.
2.	अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति	न्यूनतम 155	न्यूनतम 79 से.मी.
3.	महिला	न्यूनतम 148	लागू नहीं

7. अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, कलर ब्लाइंडनेस (Colour Blindness) / रतौंधी (Night Blindness), Hearing, Stammering, Bericoccele/ Hydrocele/ Piles तथा Any Communicable Physical/ Mental disease आदि की चिकित्सीय जाँच की जायेगी।

8. आयु सीमा:- विज्ञापित पदों के संदर्भ में उम्र की गणना दिनांक 01.08.2025 के आधार पर की जायेगी।

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 21 वर्ष

(ख) अधिकतम उम्र सीमा:- (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-29, दिनांक-04.01.2021 द्वारा यथा निर्धारित)

(i) अनारक्षित/आ०क०व० — 35 वर्ष।

(ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 (पुरुष) — 37 वर्ष।

(iii) महिला

[अनारक्षित, आ०क०व०, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)

एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)] — 38 वर्ष।

(iv) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला) — 40 वर्ष।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।
भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण-पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी
जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. I. परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

II. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से सम्बन्धित पात्रता के विषय पर विवरणिका की कंडिकाओं में विहित सभी शर्तों को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं।

10. आरक्षण :

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

10.(I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VIII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IX पर धारित है।

- (ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ग) दिनांक-02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (च) पिता/ पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

10.(II) जाति प्रमाण पत्र—

- (क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-I पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-II पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05.2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट- III पर धारित है।

- (ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IV पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के

पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-V पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VI पर धारित है।

- (ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-VII) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा।
- (च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।
- (ज) शैक्षणिक कार्यों/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (झ) पिता का नाम तथा उनके स्थायी पते के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (ञ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-235, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण

का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोट:-

- (I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I से परिशिष्ट- IX, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित आवेदक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:-

- (i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
- (क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।

- (ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।
- (ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
- (ii) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।
- (iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा— तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

12. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना:—

ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

- (i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट <https://jssc.jharkhand.gov.in> पर जाएँ एवं Online Application for **JAJCE-2025** को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।
- (ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगईन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।
- (iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग—ईन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। इसके पश्चात् परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।
- (iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।
- (v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ

अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।

(vii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किये गये आवेदन को वैध माना जायेगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा।

13. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :- ऑनलाईन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत् हैं:-

क) रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक-07.11.2025 से दिनांक- 08.12.2025 की मध्य रात्रि तक।

ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने तथा के लिए फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने दिनांक- 10.12.2025 की मध्य रात्रि तक।

ग) दिनांक- 11.12.2025 से दिनांक- 13.12.2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रवृष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

14. आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन:-

दिनांक 11.12.2025 से दिनांक 13.12.2025 की मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रवृष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

15. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया:-

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने **JAJCE-2025** Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

16. परीक्षा का स्वरूप

16.(I) परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :- परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में ली जायेगी:-

(क) शारीरिक दक्षता परीक्षण

(ख) लिखित परीक्षा

(ग) चिकित्सीय जाँच

16.(II) (क) शारीरिक दक्षता परीक्षण – झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली 2012 में वर्णित प्रावधान (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय-समय पर संशोधित) के अनुसार अधिसूचित चयन पर्षद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जायेगी जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हक (Qualifying) परीक्षा है, जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। चयन पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध करायेगा।

(ख) **लिखित परीक्षा** – शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की ओ. एम. आर. (OMR) अथवा सी. बी. टी. आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधासूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् उन्हें Normalised अंक ही दिया जाएगा। सहायक कारापाल के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधासूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अहर्तांक [यथा विवरणिका की कंडिका 17(iv)] प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ग) **चिकित्सीय जाँच**– मेधासूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के तीन गुणा अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जाँच के लिए किया जायेगा। चिकित्सीय जाँच झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली 2012 में वर्णित प्रावधान (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय-समय पर संशोधित) के अनुसार अधिसूचित चयन पर्षद द्वारा की जायेगी। चयन पर्षद के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए Apex Medical Board गठित किया जायेगा। चिकित्सीय परीक्षण के सम्बन्ध में Apex Medical Board का निर्णय अंतिम होगा। चिकित्सीय जाँच में योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को चयन पर्षद द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

नोट – चिकित्सीय जाँच उपरान्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा। इस क्रम में पद रिक्त रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः

अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा के मेधाक्रम में नीचे के अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सीय जाँच परीक्षा के आयोजन हेतु चयन पर्वद को उपलब्ध करायेगा।

16.3 शारीरिक दक्षता परीक्षण :-

मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप का जाँच किया जायेगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरणिका की कंडिका-06 के अनुरूप होगी।

दौड़:-

(क) पुरुषों के लिए 1 मील (1600 मीटर) — 06 मिनट में।

(ख) महिलाओं के लिए 1 मील (1600 मीटर) — 10 मिनट में।

शारीरिक दक्षता परीक्षण का प्रपत्र **परिशिष्ट-X** के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

16.4 लिखित परीक्षा :- शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर आयोग द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली — 2015 (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय-समय पर संशोधित) के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

16.5 परीक्षा का स्वरूप :- आयोग द्वारा ओ०एम०आर० (OMR)/सी० बी० टी० (CBT) आधारित परीक्षा ली जायेगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :-

(क) परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी — प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा।

परंतु शारीरिक दक्षता परीक्षण में 50,000 (पचास हजार) से कम अभ्यर्थियों के सफल रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जायेगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा।

(ख) परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(ग) भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(घ) **प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम** — सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटों की होगी।

(i)	सामान्य अध्ययन	— 30 प्रश्न
(ii)	झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	— 60 प्रश्न
(iii)	सामान्य गणित	— 10 प्रश्न
(iv)	सामान्य विज्ञान	— 10 प्रश्न

पत्र—

(i) **सामान्य अध्ययन** — इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था देश की राजनीतिक प्रणाली, पचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ii) **झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:**— झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान-खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(iii) **सामान्य गणित:**— इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(iv) **सामान्य विज्ञान:**— सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(v) **मानसिक क्षमता जाँच:**— इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ड) प्रारम्भिक परीक्षा उपरान्त मुख्य परीक्षा हेतु चयन:- प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मेधासूची तैयार की जाएगी। तदुपरान्त कुल रिक्ति के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार प्रारम्भिक चयन सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची में किसी कोटि (उदग्र एवं क्षैतिज) के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व रिक्ति के पन्द्रह गुणा से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक धारित करने वाले शेष सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित किया जाएगा।

(च) मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे :-

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान) : कुल प्रश्न – 120, परीक्षा अवधि – 2 घंटा

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न

भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंको को जोड़ कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

पत्र –2-चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा: कुल प्रश्न-100,परीक्षा अवधि- 2 घंटा

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे।

चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पत्र- 3 (सामान्य ज्ञान) : कुल प्रश्न-150, परीक्षा अवधि- 2 घंटा

(क) सामान्य अध्ययन	–	30 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
(ड) कम्प्यूटर का ज्ञान	–	20 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	40 प्रश्न

सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी:- पत्र-1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% (तीस प्रतिशत) है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र-2 एवं पत्र-3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र-2 में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र-3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :-

- (i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न — 30 प्रश्न
- (ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न — 30 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :-

- (i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न — 30 प्रश्न
- (ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न — 30 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र – 2 (चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा)

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-XIII पर धारित है।

पत्र –3 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन:-

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञान:-

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) सामान्य गणित:-

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) मानसिक क्षमता जाँच:-

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं –सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान:-

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम.एस. विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम.एस. ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:-

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

16.6 चिकित्सीय जाँच :-

I. शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद के माध्यम से आयोजित की जायेगी। चिकित्सा पर्षद में उनके द्वारा मनोनीत तीन चिकित्सक होंगे, जिसमें एक महिला चिकित्सक होंगी। चिकित्सीय जाँच परीक्षा में सफल होना आवश्यक है अन्यथा चयन हेतु मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

II. चिकित्सीय परीक्षा के तहत चिकित्सा पर्षद द्वारा निम्न चिकित्सकीय दोषों का परीक्षण किया जायेगा :- “मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, कलर ब्लाईडनेस (Colour Blindness) / रतौंधी (Night Blindness), Hearing, Stammering, Bericoccele/ Hydrocele/ Piles और Any Communicable Physical/ Mental Disease.”

चिकित्सीय जाँच का प्रपत्र **परिशिष्ट-XI** के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

III. चिकित्सा पर्षद द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए **Apex Medical Board**, अधीक्षक राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद, झारखण्ड, राँची होगा।

Apex Medical Board के द्वारा चिकित्सीय जाँच का प्रपत्र **परिशिष्ट-XII** के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

17. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा एवं चिकित्सीय जाँच के उपरान्त प्राप्तांक (Normalised प्राप्तांक) के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- (ii) मेधासूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक/10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् मैट्रिक/10वीं परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।
- (iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (iv) प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधासूची में शामिल नहीं किया जायेगा:—
- | | |
|---|-------------------------------|
| (I) अनारक्षित | — 40 (चालीस) प्रतिशत |
| (II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला— | 32 (बत्तीस) प्रतिशत |
| (III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग —(अनुसूची-I) | — 34 (चौत्तीस) प्रतिशत |
| (IV) पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | — 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत |
| (V) आदिम जनजाति | — 30 (तीस) प्रतिशत |
| (VI) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | — 40 (चालीस) प्रतिशत |
- (v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा-सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी।

18. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका-17 के आधार पर मेधासूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/ अहर्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

19. नियुक्ति:-

- (i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अधधीन होगी।

20. अन्यान्य:-

- 1) आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 तथा Jharkhand Competitive Examination (Prevention and redressal of unfair means in Recruitment) Act 2023 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
- 2) प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में किसी प्रश्न के गलत होने/किसी प्रश्न के सभी विकल्प गलत होने/किसी प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही होने/प्रश्न के हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता आदि की स्थिति में प्रश्न को रद्द करने अथवा सभी उपस्थित अभ्यर्थियों को उक्त प्रश्न के विरुद्ध समान अंक प्रदान करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3) आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 4) विवरणिका में प्रावधानित वांछित शैक्षणिक अहर्ता/स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों की भिन्नता तथा उक्त प्रपत्रों के अन्तर्गत वर्तनी में त्रुटि/अशुद्धि से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

- 5) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:-
- (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :-
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
- 6) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :-
- (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।
 - (iv) आवेदन समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं करना।
 - (v) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
 - (vi) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
 - (vii) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

- (viii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (ix) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
- (x) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
- (xi) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xii) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रुपये) शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

(xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।

(xix) Online आवेदन एवं परीक्षा शुल्क भुगतान से संबंधित चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है।

(xx) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखे, प्रमाण-पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

ह./—
परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट-(I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 7/जा.नि.
-19-11/2008 का.-5682 दिनांक- 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

.....
(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण-पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या-.....

तिथि:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

..पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला

.....डाकघर..... थाना जिला राज्य.....

अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप
जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के
रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः
गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....
में निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट-(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-
14/जा.नि.-03-13/2015/का. 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा
अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
पता-ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०.....थाना.....
जिला/प्रमंडल.....राज्य/संघशासित प्रदेश
झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीनजाति के
सदस्य हैं तथा धर्म को मानने वाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर
..... जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति
की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की
धारा- 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:-

i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/
प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक
समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची
द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेश 1950
(अनुसूचित जनजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)
अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

परिशिष्ट (III)

संशोधित

भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता ग्राम/नगर
जिला/प्रमंडल राज्य/संघशासित प्रदेश
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन जाति/जनजाति के सदस्य हैं:-

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951
- (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्व क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1958
- * संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1958 द्वारा यथासंशोधित
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- * संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परि
सामान्य रूप से राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर
जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

- i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)
- ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।
- iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।
- iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट-(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-7/जाति-19-11/2008 का.-10007 दिनांक- 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
.. पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
थाना जिला झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली
हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001*,** की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक- 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक- 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट-(v)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

मैं पिता
पति/पत्नी निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर
..... पोस्ट थाना
..... अंचल जिला राज्य
..... एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं
..... समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112/22/93 स्था. (एस.सी.टी.)/ झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या दिनांक में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/ नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला अंचल के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या दिनांक निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा.द.वि. एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट—(VI)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
14/जा.नि.—03—13/2015/का. 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
ग्राम/नगर..... जिला/प्रमंडल.....राज्य/संघशासित प्रदेश
..... जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिक्तियों और पदों के लिए आरक्षण
(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन
पिछड़े वर्ग (अनुसूची—I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये धर्म को
माननेवाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया
झारखण्ड राज्य के ग्राम/ नगर जिला/प्रमण्डल
..... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय
ज्ञापांक 36012/22/93—स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ—3 में
उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या—3482 दिनांक—
10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93—स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.
1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता—पिता द्वारा किये
गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए
वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वधोषणा पत्र (फार्म संख्या—15) संलग्न
करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता स्वधोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट-(VII)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.

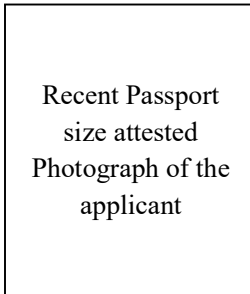
Date

Valid for the Year

This is certify that Shri/Smt./ Kumari
son/daughter/wife of permanent resident of
..... village/street post office
..... District in the State/Union Territory
Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8
Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/Her family
does not own or possess any of the following assets***.

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari belongs to the
..... caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/
EBC-I/BC-II.



Signature with seal of office

Name

Designation

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

परिशिष्ट—(VIII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/स्थानीयता.
नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक— 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक— 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड
का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

.....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्री..... पता—ग्राम/वार्ड/शहर.....
पो०.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी
हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के
संकल्प संख्या—3198 दिनांक— 18.04.2016 की कंडिका— में उल्लिखित प्रावधानों के
आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य
राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं

पदनाम

परिशिष्ट–(IX)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 5752 दिनांक– 19.07. 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक–19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं. :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता/पति श्री....
..... पता-ग्राम/वार्ड/शहर..... पो0.....
.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण
पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198
दिनांक- 18.04.2016 की कंडिका- में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत
किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित
प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :

दिनांक :.....

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट-(X)

झारखण्ड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025

चयन पर्षद

शारीरिक दक्षता परीक्षण

1. निबंधन/आवेदन संख्या/अनुक्रमांक
 2. अभ्यर्थी का नाम
 3. पिता/पति का नाम
 4. शारीरिक दक्षता परीक्षण की तिथि
 5. स्थान
 6. महिला/पुरुष
 7. शारीरिक दक्षता हेतु मापदण्ड
- स्वअभिप्रमाणित
फोटो

क्र. स.	शारीरिक दक्षता हेतु मापदण्ड	पुरुष	महिला	माप / जाँच फल	जाँच पदाधिकारी की अभ्युक्ति (सफल/असफल)
1.	छाती का माप (न्यूनतम)	अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग (अनु.-02) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु.-01) के लिए-81 सें.मी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए-79 से.मी.	लागू नहीं		
2.	दौड़	06 (छः) मिनट में 1 मील (1600 मीटर) की दौड़।	10 (दस) मिनट में 1 मील (1600 मीटर) की दौड़।		

8. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर..... तिथि..... स्थान.....

9. चयन पर्षद का मंतव्य :-

अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल/असफल है

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष
(हस्ताक्षर एवं सील)

परिशिष्ट-(XI)

MEDICAL BOARD

Jharkhand Assistant Jailor Competitive Examination -2025 (JAJCE-2025)

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS

Roll No: _____

Candidate Name: _____

Father /Husband's Name: _____

Gender: _____ Date of Birth (dd-mm-yyyy): _____

Candidate Should
Paste Passport
Size Photograph
and Sign across
the Photo

शारीरिक मापदण्ड परीक्षण :-

क्र. सं.	जाँच हेतु मापदण्ड		माप / जाँच फल	जाँच पदाधिकारी की अभ्युक्ति (सफल/असफल)
1.	ऊँचाई (न्यूनतम)	पुरुष		
		अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग (अनु.-02) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु.-01) के लिए-160 सें.मी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 155 सें.मी.		
		महिला		
		148 सें.मी. (सभी कोटि के लिए)		

Sl. No.	Type of Test	Results
1.	Physically Disability/Deformity (If any) (शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों को उचित ढंग से नहीं घुमना या अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए)	
2.	Vision	Left Eye Right Eye
3.	Colour Blindness/ Night Blindness	
4.	Hearing	
5.	Stammering	
6.	Bericocele/ Hydrocele/ Piles (if any)	
7.	Any Communicable Physical /Mental disease.	

We certify that we have carefully examined this candidate and he/she has signed in my presence.

*He/ She has no Mental/ Physical disease and found FIT.

*He/ She has disease and is NOT FIT.

* Strike out which is not applicable.

Place: _____ Date: _____

Signature of Candidate

(In Presence of Medical Board)

1. Dr. _____ 2. Dr. _____ 3. Dr. _____
{Member of Medical Board (Female)} (Member of Medical Board) (Member of Medical Board)

Dr.
(Chairperson of Medical Board)

परिशिष्ट-(XII)

RIMS, RANCHI

Jharkhand Assistant Jailor Competitive Examination -2025 (JAJCE-2025)

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS

(For Appellate Apex Medical Board)

Roll No: _____

Candidate Name: _____

Father /Husband's Name: _____

Gender: _____ Date of Birth (dd-mm-yyyy): _____

शारीरिक मापदण्ड परीक्षण :-

Candidate Should
Paste Passport
Size Photograph
and Sign across

क्र. सं.	जाँच हेतु मापदण्ड		माप / जाँच फल	जाँच पदाधिकारी की अभ्युक्ति (सफल/असफल)
1.	ऊँचाई (न्यूनतम)	पुरुष	महिला	
		अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग (अनु.-02) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु.-01) के लिए-160 सें.मी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 155 सें.मी.	148 सें.मी. (सभी कोटि के लिए)	

Sl No.	Type of Test	Results
1.	Physically Disability/Deformity (If any) (शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों को उचित ढंग से नहीं घुमना या अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए)	
2.	Vision	Left Eye Right Eye
3.	Colour Blindness/ Night Blindness	
4.	Hearing	
5.	Stammering	
6.	Bericocele/ Hydrocele /Piles (if any)	
7.	Any Communicable Physical /Mental disease.	

We certify that we have carefully examined this candidate and he/she has signed in my presence.

*He/ She has no Mental/ Physical disease and found FIT.

*He/She hasdisease and is NOT FIT.

* Strike out which is not applicable.

Place: _____ Date: _____

Signature of Candidate
(In Presence of Medical Board)

1. Dr. _____ 2. Dr. _____ 3. Dr. _____

(Member of Apex Medical Board) (Member of Apex Medical Board) (Member of Apex Medical Board)

4. Dr. _____ 5. Dr. _____

(Member of Apex Medical Board) (Member of Apex Medical Board)

(Chairperson of Apex Medical Board)

परिशिष्ट (XIII)

संताली भाषा

खण्ड 'क'

(i) **व्याकरण** – भाषा परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, क्रिया, काल, विशेषण अव्यय, प्रत्यय, पहेलियाँ मुहावरे, भेनताकाथा, बुझोबोल, कुदुम, सजीव-निर्जीव, समोच्चरण भिनार्थक अर्थ, लकोक्ति ।

खण्ड 'ख'

(ii) **साहित्य** –

संताली लोक साहित्य – अर्थ, परिभाषा, भाग-विभाग, संतालों का उद्भव और विकास, गोत्र विभाजन, गाढ़ विभाजन, पर्वत्यौहार, संस्कार विवाह, मृत्यू ।

लोक गीत – डाहार, बाहा, सोहराय काराम, दोड, विबाह, दाँसाय ।

संताली शिष्ट साहित्य – कविता-कुडकुरुबुद, (हरिहर हाँसदा), साँवहेत्, (बादल मुर्मू), माराडोः, (सारदा प्रसाद किस्कू), सेंगेल, बिरसा मुण्डा, (के० सी० टुडू), तुपुनघाट, (रघुनाथ टुडू), साना (डमन हाँसदा), राहला रिमिल (डमन हाँसदा), चेहरा (श्यामचरण हेम्ब्रम) ।

खण्ड 'ग'

लोक कथा – धारती सिरजाव काथा, मानवा सिरजाव काथा पारिस काथा, सेंदराकारका काथा, पाराब पुना काथा ।

कहानी– माड़घाटी, (दिगम्बर हाँसदा), तारा आजचार, (के० सी० टुडू), आनखा लाहा, (सोभानाथ बेसरा), काथा रेनाड गोनोड, (चमपावती टुडू)

नाटक – किरिज सिंदुर, तिलका मुरमू ।

निबंध – सिदो कानहू हुल, बाबा तिलका माँझी हुल, डिबा किसुन हुल, बिरसा आन्दोलन, पर्व-त्यौहार, आगिल हापड़ाम कोवाः काथा ।

खड़िया भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण – वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाच्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द ।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

(1) लोकगीत :- खड़िया लोकगीत की परिभाषा, वर्गीकरण 10 विविध लोकगीत

(2) शिष्टगीत :-

1. सेनेल – नुवस केरके'ट्टा
2. जोहार – प्यारा केरके'ट्टा
3. गलगाथा क्रूस दारु तो'मलुड ताय – पादरी सामुएल बागे
4. दुरडन्नानिड आलोडन्नानिड दारु तेगा – श्री सामुएल बागे
5. ए अपा
6. सेनेल
7. धाइन तेरतेले
8. कि'तुड' अपा
9. उमिज चोना – डॉ. अनिल वीरेन्द्र कुल्लू
10. भंइहर पो'दा – सुं. प्रफुल्ल सोरेड

(3) कविताएँ :-

1. लमलम – प्यारा केरके'ट्टा
2. 26 जनवरी – प्यारा केरके'ट्टा
3. महाजियोम गाँधी – प्यारा केरके'ट्टा
4. झाड़ी धरम मोज – प्यारा केरके'ट्टा
5. किनिर – प्यारा केरके'ट्टा
6. घोल मोलोय अगस्त
7. लोटा' डा' – मेरी एस. सोरेड
8. नेडा' साड़ा
9. बेताड
10. आदिबासी अम' कहनी

खण्ड 'ग'
खड़िया गद्य साहित्य

(1) **लोक कथा** :- (दस लोककथाएँ) – अनुष्ठान संबंधी कथाएँ, हास्य-व्यंग्यपूर्ण कथाएँ, अलौकिक तत्वों से युक्त कथाएँ, पशु-पक्षी संबंधी कथाएँ, सामाजिक कथाएँ तथा परी कथाएँ।

- (1) सुगी ओडो' मुनी
- (2) कुली बूढ़ी
- (3) ढेला रो उल'
- (4) कोन्होर रो लोडगोय
- (5) टेटेटोहों'ज
- (6) साँखी रो कोइली
- (7) कोनजो' के'ढिड
- (8) चुटिया रो केंडो'ड
- (9) कुरकुर से बेइचडोम
- (10) लिटिया ओडो' चुटिया

(2) **शिष्ट कहानी (आधुनिक कहानियाँ)** :-

- (1) मोज बिता ला'ज – प्रो० मेरी एस० सोरेड
- (2) लूर धो' मसटर – सु० पतरस बा'
- (3) बोरजा' – प्रो. मेरी एस० सोरेड
- (4) बुधवा' कोरमो – सु. पतरस बा'
- (5) महाकिमिन – सु. कुमार बा'
- (6) जिनगी उम बोनेता बायना होयता – सु. जुएल सोरेड
- (7) राजा बेटा' बराकाईत – श्री जुलिमुस बा'
- (8) इना सुग्गी उम तोरो'ताम – रोज टेटे

(3) **खड़िया नाटक** :- सिलिम खोड़ी या' सोमरा – इलियस बा'

(4) **साहित्यिक निबंध** :-

- (1) प्यारा केरके'ट्टा
- (2) जुलियुस बा'
- (3) डॉ० रोज केरके'ट्टा
- (4) डॉ० माथियस डुडडुड
- (5) डॉ० जोवा किम डुडडुड
- (6) डॉ० आर. पी. साहू
- (7) डॉ० अनिल वीरेन्द्र कुल्लू
- (8) डॉ० मेरी एस. सोरेड

Odia Language and Literature

1. Grammar :-

Barna, Shabdagathana, Linga, Bachana, Karaka, Bibhakti, Sandhi, Samasa, Yugma Shabda, Bhinnarthaka Shabda, Anekarthaka Shabda, Biparitarthaka Shabda, Krudanta, Taddhita O Chhanda, Alankara.

2. Bhasha Bhaga :-

- A. Bhasha
- B. Upabhasha
- C. Bhasha Parivartanara Karana O Diga
- D. Dhwonni Parivartanara Karana O Diga
- E. Artha Parivartanara Karana O Diga

3. Padya Bhaga :-

- A. Loka Geeta (Doli Geeta, Karama Geeta, Tusu Geeta, Bibaha Geeta O Kandana Geeta)
- B. Shrimad Bhagbat - Jagannath Das
- C. Rasakallola - Dinakrushna Das
- D. Tapaswini - Gangadhara Meher
- E. Kishora Chandrananda Champu - Kabisurya Baladeva Rath
- F. Kalijai - Godabarisha Mishra
- G. Kara Kavita - Gopabandhu Das
- H. Shriyachandaluni - Radhamohan Gadnayak

4. Gadya Bhaga :-

- A. Loka Kahani (Rupakatha, Upakatha, Osha O Bratakatha, Pashupakhyira Katha)
- B. Rebati - Fakir Mohan Senapati
- C. Aneka Smita Hasa - Manoj Das
- D. Chha Mana Atha Guntha - Fakir Mohan Senapati
- E. Paraja - Gopinatha Mahanti
- F. Konarka - Ashwini Kumar Ghosh
- G. Ghara Sangsara - Rama Chandra Mishra
- H. Abishkara - Manoranjan Das

पंचपरगनिया

खण्ड 'क'

व्याकरण :-वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द ।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

लोकगीत:-

1. पंचपरगनिया लोकगीत
2. लोकगीत की परिभाषा और महत्व
3. पंचपरगनिया लोकगीतों की विशेषताएँ
4. पंचपरगनिया लोकगीतों में भाव, रस, छंद और कला सुन्दरई
5. पंचपरगनिया लोकगीतों में प्रकृति चित्रण
6. पंचपरगनिया करम गीतों के प्रकार
7. पंचपरगनिया विवाह गीतों का वर्गीकरण
8. पंचपरगनिया टुसू गीतों का वर्गीकरण
9. पंचपरगनिया विवाह गीतों का भाव सौन्दर्य
10. संहरई गीतों का वर्गीकरण ।

शिष्टगीत/कविताएँ-

1. सावन मास — सृष्टिधर महतो 'समीर'
2. झागड़ा — सृष्टिधर महतो 'समीर'
3. रावन बध — डॉ० चन्द्रमोहन महतो
4. जीवन पथेक फूल — परमानन्द महतो
5. जीवन पथेक फूल — राजकिशोर सिंह
6. बांबरा (कविता संग्रह) — दिनबंधु महतो एवं परमानन्द महतो
7. महुआ रस — सहोदर खंडित

खण्ड 'ग'

लोककथा:— पंचपरगनिया लोककथा, संपादक—परमानन्द महतो

1. करमा धरमा केर काथा
2. बारहा आर भालू
3. सतनाराइन काथा
4. जितुआ बरत केर काथा
5. बिएजरी आर पाँचपरी
6. ठकुआ आर भिखुआ
7. मामा—भगिना
8. बिन बापेक छुआ
9. पँठी सनी
10. चालाक बिलाइ

नाटक:—1. इंजत — राजकिशोर सिंह

शिष्टकहानी:— जदि एसन हतक हले का हतक— संतोष साहु 'प्रीतम'

साहित्यकार:—

1. ज्योतिलाल महादानी
2. परमानन्द महतो
3. राजकिशोर सिंह
4. सृष्टिधर महतो
5. संतोष साहु 'प्रीतम'
6. दीनबंधु महतो
7. चन्द्रमोहन महतो
8. करमचन्द अहीर

नागपुरी भाषा

खण्ड— 'क'

व्याकरण :- वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द ।

खण्ड— 'ख'

पद्य साहित्य

1. **नागपुरी भाषा के लोकगीत :-** लोकगीत की परिभाषा, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, दस (10) विविध गीतों का अध्ययन ।

1. संस्कार गीत — 03
2. पर्व-त्योहार गीत — 03
3. श्रम गीत — 01
4. बाल गीत — 01
5. ऋतु गीत — 01
6. सामान्य गीत — 01

2. **शिष्ट गीत/कविताएँ :-**

(क) कविताएँ

1. जागा-जागा — सी. डी. सिंह
2. बिरसा तोर इयाइद में — क्षितिज कुमार राय
3. नागपुरक भाइमन — भीम महतो
4. जेठ मास आति — भरत नायक
5. तुलसी आउर कैकटस — धरेन्द्र प्रवाही
6. तोर बेतरा में — गिरिधारी राम गौँझू 'गिरिराज'
7. नावाँ सालक नावाँ गीत — कुमारी बासन्ती
8. गाँव कर सांझ — पांडे रवीन्द्र नाथ राम
9. मुलुक भारत — अजीज अंसारी
10. जगत जननी — शकुन्तला मिश्र

(ख) गीत :-

1. पोड़िलो बरखा ऋतु — रघुनाथ नृपति
2. छोडु कपटी माया — बरजु राम
1. पापी प्राण छुटे नहीं झट के — महंत घांसी
4. ठरू दाता दिगम्बर — घासी राम
5. उमड़ि गगन घन घमंड — कवि कंचन
6. अरजुन कहत बियारी — जगनिवास नारायण तिवारी
7. संवत पैसठी साल — दृगपाल राम देवघरिया
8. कड़कि उठलक तलवारी — प्रफुल्ल कुमार राय
9. सावन घटा — नईमउद्दीन मिरदाहा
10. आजादी खातिर — रणविजय नाथ शाहदेव

खण्ड— 'ग'

गद्य साहित्य

1. नागपुरी लोककथा:— नागपुरी भाषा की कोई दस (10) लोककथाएँ:—

1. कंगन आउर चुरी
2. भाइग कर खेइल
3. टुसुट भेंडा
4. मयना आउर बुट
5. बेलमइत रानी
6. कमल आउर केतकी
7. चोचा चरइ आउर राजा
8. छोटकी रानी
9. बनहरिनी कर बेटा
10. बिन्दुलिया रानी

2. शिष्ट कथाएँ:— नागपुरी भाषा की आठ आधुनिक कहानियाँ:—

1. एक चकता रउद — प्रफुल्ल कुमार राय
2. बिंझिया — शारदा प्रसाद शर्मा
3. रद्दी कागज — डॉ. बी.पी. केशरी
4. क्रिसमस कर सांझ — डॉ. कुमारी बसन्ती
5. भोटांग डहर — पंचम साहु
6. मनपुरन — रणविजय नाथ शाहदेव
7. भाइग — प्रमोद कुमार राय
8. मांदी — डॉ. उमेश नंद तिवारी

3. नाटक — ठाकुर विश्वनाथ साही — डॉ. विसेश्वर प्रसाद केशरी

4. साहित्यिक निबंध :- नागपुरी भाषा के किन्हीं आठ (8) साहित्यकारों का जीवन-परिचय एवं उनकी कृतियों का अध्ययन:—

नागपुरी के साहित्यिक निबंध

1. प्रफुल्ल कुमार राय
2. मृत्युंजय नाथ शर्मा
3. कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा
4. सहनी उपेन्द्र पाल नहन
5. डॉ. बी.पी. केशरी
6. नईमउद्दीन मिरदाहा
7. डॉ. गिरिधारी राम गौड़ू 'गिरिराज'
8. डॉ. कुमारी वासन्ती

कुरमाली

खण्ड 'क'

व्याकरण:- वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द।

खण्ड 'ख'

गद्य साहित्य

1. लोककथा :-

- (1) बांदना (सेहरेइ परब)
- (2) टसर राजा
- (3) निसारथि के भगवान सारथि
- (4) साधन
- (5) लिलुक कसनि
- (6) माछेक हांसी
- (7) पुइतू
- (8) सियारेक मांदेइर
- (9) राजा घारे बिहा
- (10) धीरजे कारज सिद्ध

2. आधुनिक कहानी –

- (1) छटपटी – बसंत कुमार मेहता
- (2) बानछा – डॉ० एच० एन० सिंह
- (3) दिसा – निरंजन माहतअ
- (4) ढेंकि सांप – सुनिल माहतअ
- (5) धखा – अनन्त माहतअ
- (6) धनेक गरब – डॉ० एच० एन० सिंह
- (7) मकरी – डॉ० एच० एन० सिंह
- (8) गाछ भगवान – डॉ० एच० एन० सिंह

3. नाटक – केरिआ बहु– कालिपद महतो

4. साहित्यकार:- डॉ० नन्द्र किशोर सिंह, लखीकान्त महतो, केशव चन्द्र महतो, बसन्त कुमार मेहता, अनन्त महतो, डॉ० मानसिंह महतो, खुदी राम महतो, डॉ० हरदेव नारायण सिंह।

खण्ड 'ग'

पद्य साहित्य

1. लोकगीत:— लोकगीत की परिभाषा, कुरमाली लोकगीतों का वर्गीकरण कुरमाली लोकगीत — विवाहगीत, डमकच, उधवागीत, ढपगीत डांडिधरा गीत (पांतागीत), करम, एढ़ेइया, बादना (सोहराई) खेलगीत, बालगीत (छवा भुला गीत)

2. शिष्ट गीत :—

- (1) "जे विधि जनम देला, ताहा के बिसरी गेला।"
- (2) "सयने सपने देखी, पलके ना परे आँखी।"
- (3) "रितु बंसत भेल, मर पिया काहां गेल।"
- (4) "लाल कमल दहे, फूल माला उपजये।"
- (5) "वृन्दावने फुटीगेला, नाना जाति फूल गो।"
- (6) "भादर मासे सैया मर पड़ली बेजार, इमें नाचब कइसे।"
- (7) "सुइया मुही बुढ़ियांइ, जीवने सांतावली गो।" — भीमचरण
- (8) "पिया पिया जातिया, बरसा बिती गेल रे।" — बाउलदास
- (9) "आवल माधव बहे मन्द पवनवा।"—तुलसीदास
- (10) "आवल बरिसा हित, हुदकी उठल चित।"

आधुनिक कविताएँ :

- (1) उड़ीस
- (2) जागरण
- (3) गनति
- (4) एकटा गाछे दुइति चेरेइ
- (5) जाहाँक झांक तारि
- (6) भगुआ पिंथाक तरहअ
- (7) बिडुल
- (8) बिसरिस ना मांइ
- (9) धंधौरा
- (10) तौय कन

Urdu Language and Literature

(A)

I. ZABAAN (LANGUAGE)

- (1) HINDUSTANI KA IRTIQA
- (2) URDU ZABAAN KI PAIDAISH: NAZARYAAT AUR HAQAIQ KA JAIZA
- (3) JHARKHAND KI QABAILI ELAAQAI ZABAANEN
- (4) JHARKHAND MEN URDU

(B)

II. QAWAID (GRAMMAR)

- (1) MUTRADIFAT, ISM MOSAGGHAR WA MOKABBAR
- (2) SAABIQA WA LAAHIQA, ZARBUL MASL

(C)

III. SHAYERY (POETRY)

GHAZAL (1) ULTI HO GAYIN SAB TADBEEREN KUCHH NA DAWA NE KAAM KIYA
(MEER)

(2) FAQEERANA AAYE SADA KAR CHALE (MEER)

(3) DILE NADAN TUJHE HUWA KIYA HAI (GHALIB)

(4) DAYAM PADA HUWA TERE DAR PER NAHIN HUN MAIN (GHALIB)

NAZM (5) LENIN KHUDA KE HUZOOOR MEN (IQBAL)

(6) EK AARZOO (IQBAL)

(7) NISAR MAIN TERI GALIYON KE AYE WATAN KE JAHAN (FAIZ)

(8) MUJH SE PAHLI SI MOHABBAT MERI MAHBOOB NA MANG (FAIZ)

(D)

III. NASR (PROSE)

NOVEL (1) FIRE AREA (ILYAS AHMAD GADDI)

AFSANA (2) PARINDA PAKADNE WALI GADI (GHAYAS AHMAD GADDI)

(3) NIRVAAN (ZAKI ANWAR)

(4) MRS. JOHN (SHEEN AKHTAR)

खोरठा भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण:- खोरठा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, उन्वयार्थक शब्द ।

खण्ड— 'ख'

पद्य साहित्य

1. **खोरठा भाषा के लोकगीत :-** लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोरठा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, दस (10) विविध गीतों का अध्ययन ।

1. संस्कार गीत (विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत) —03
2. पर्व—त्योहार गीत (करम गीत —2, सोहराइ गीत— 1)—03
3. श्रम गीत —01
4. बाल गीत —01
5. ऋतु गीत —01
6. सामान्य गीत —01

2. **शिष्ट गीत/कविताएँ :-** खोरठा भाषा की दस (10) प्रतिनिधि कविताएँ एवं दस (10) गीत

(क) **कविताएँ** — एक पथिया डोंगल महुआ” (संकलन/संपादक— संतोष कुमार महतो) से

प्रथम दस (10) कविताएँ ।

(ख) **गीत :-**

1. माँदइर बाजे रे, बाँसी बाजे रे — सुकुमार
2. बोने पाकलइ सयाँ कोइर — दिनेश दिनमणि
3. सोहान लागे रे — शांति भारत
4. कते सुंदर छोटानागपुर — दीपक सवाल
5. हामर भारत महान — अम्बुज कुमार
6. मिली के रहिहा — प्रदीप कुमार दीपक
7. साँझे हाँसइ झींगा फूल — महेन्द्र नाथ गोस्वामी
8. बोन रक्षा जीवन रक्षा — अनीता कुमारी
9. सेंवातिक बाउँड़ी मेला — सुभद्रा कुमारी
10. जय माँय जननी — शिवनाथ प्रमाणिक

1. लोककथा :- खोरठा भाषा की दस (10) लोककथाएँ:-

1. सात भाय एक बहिन
2. धनेक धधइनी
3. बुढ़ा बुढ़ी आर सात पीठा
4. गुदपुचु रानी आर कउआ
5. गोहाइल परब
6. बुढ़ी आर ओकर नाती
7. दू बिहाक दुरगति
8. केतकी फूल
9. लुइरगर बेटी छउआ
10. खुँटा भितर चियौ गोटा

2. शिष्ट कहानी :- खोरठा भाषा की आठ आधुनिक कहानियाँ :-

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. छाँहइर | 2. बौनेक लोर |
| 3. हाम जीयब कइसें | 4. नावा जिमीदार |
| 5. उबार | 6. जिनगिक डोंआनी |
| 7. ओद दीदा | 8. हुब |

3. नाटक – चाभी-काठी, लेखक – श्रीनिवास पानुरी

4. साहित्यिक निबंध :- आठ (8) साहित्यिक निबंध

1. भाइ-बहिन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम (निबंध)
2. फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता (निबंध)

5. निम्नलिखित खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध :-

भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी ए.के. झा, विश्वनाथ दसौंधी 'राज', विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो 'श्याम'

हो भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण:—वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

शिष्ट गीत

- (1) तेते: चन्दु
- (2) गोलनचि बा
- (3) अबुअ झारखण्ड
- (4) लको बोदरा
- (5) सिंगि
- (6) हर्ताहसा
- (7) जोनोम दिसुम
- (8) दुल सुनुम जुलो चा
- (9) अबुआ नमा भारत
- (10) दिसुम लगिङ्

कविताएं:—

- (1) गुसिया — बागुन बोदरा
- (2) होयो गमा — पूर्णचन्द्र बिरुवा
- (3) जिबनान बाड़ा — मदन बानरा
- (4) हुदा समाज — सोनेया कुमार तियु
- (5) जिबोन — नीरज जगमोहन सिंकु "चिनगारी"
- (6) राष्ट्रीय पर्व
- (7) जाति अन्डो दिसुम लगिङ्
- (8) हर्ताहसा रे टोंयोल
- (9) अले जीबोन रे
- (10) नबु दिसुम रे

अपनी भाषा के लोकगीत —

- लोकगीत की परिभाषा
- अपनी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण

लोकगीत (विविध) 10 गीत (मागे गीत 3, बा गीत 4, विवाह गीत 3)

खण्ड 'ग'

गद्य साहित्य

1. लोककथा—

- (1) डोंडा हो
- (2) इचः बा
- (3) कृला ओन्डोः बरान्ड
- (4) काः ओन्डोः रमिया गरोवा
- (5) हो ओन्डोः सेता
- (6) काना दादा
- (7) हपानुम
- (8) केपरा तुयु

2. शिष्ट कहानी —

- (1) मेंजारि — प्रिति तियु
- (2) डडु चनटु — दमयन्ती पिंगुवा
- (3) सीनी ओन्डोः अयः अपसराय किंग
- (4) चम्पु ओन्डो दोसमा
- (5) लोदे काका
- (6) सेंया होरा
- (7) सरजोम सकम (प्रदीप कुमार बोदरा)
- (8) हरावयन रयो दइयना

3. नाटक — षार होरा भाग —2

4. साहित्यिक निबंधः—

- (1) सामू चरण तुबिड
- (2) डॉ० देवेन्द्र नाथ सिंकु
- (3) डॉ० जानुम सिंह सोय
- (4) घनश्याम गागराई
- (5) चन्द्र मोहन पाट पिंगुवा
- (6) डॉ० दमयन्ती सिंकु
- (7) डोबरो बुडिउली
- (8) डॉ० प्रदीप कुमार बोदरा

मुण्डारी भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण:- वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

1. लोकगीत:-
 - i. लोकगीतों की परिभाषा, लोकगीतों का वर्गीकरण
 - ii. लोकगीत- 'बासुरी बज रही' पुस्तक से गीत सं०-11, 13, 214, 167, 349
- 'अनायुम दुराड' पुस्तक से गीत सं०-101, 104, 231, 252, 370
2. शिष्टगीत/कविताएँ:-
 - 'हिसिर पुस्तक से गीत सं०-68, 77
 - 'सेलेद' पुस्तक से गीत सं०- 1, 4
 - बम्बरु पुस्तक से गीत सं० - 3, 4
 - ससं बा पुस्तक से गीत सं०- 56, 61
 - सुड़ा संगेन पुस्तक से गीत सं०- 13
 - मनोवा-मनोवा रे बिनगा बनो:अ

खण्ड 'ग'

गद्य साहित्य

1. लोककथा:-
 - 1 बा नेग
 - 2 कराम कानि
 - 3 सोराइ
 - 4 लीमन आद् रागोसा
 - 5 होन: चतुर
 - 6 गाड़ीअ: सोंगोति
 7. देशेपुती राजा
 - 8 ए हगेया कोव: होन मिसी "पिरी"
 9. मेद आद् सोना दिदि
 - 10 गुपिन कोव: बा

2. शिष्ट कहानी—

1. कुलाए कोअः बलाए
2. बिर होनाः नावा इनुड
3. संदु आर बिंदि
4. बुरु कुला सेंदेरा
5. बिरसा जिमिदार कोअःए जगर एटेः जदा
6. रङ्गड़ा सअः एते एरे को अउजदा
7. बिरसा सिदा सिदाए सबोः तना
8. पिड़ियुद चेंडे तुदका रेए उकुः जन रअ कानि

3. नाटक— मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा

4. साहित्यकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियाँ:

1. बुद्ध बाबु
2. काशीनाथ सिंह मुण्डा 'काण्डे'
3. डॉ० रामदयाल मुण्डा
4. डॉ० मनमसीह मुण्डू
5. भैयाराम मुण्डा
6. डॉ० एस. ए. बी. डी. हंस
7. डॉ० मनसिद्ध बड़ायऊद
8. मेनास ओड़ेया

बांगला भाषा

1. GRAMMAR : KARAK, BIBHAKTI, EK BAKYA PRAKASH

POETRY: **A.) SANCHAITA** **: Rabindranath Thakur**

- Parash Pathar
- Ebar Firao More
- Aamar Matha Nato Kore
- Balaka
- Eaikyataan

B.) MADHUKARI (EDITED BY KALIDAS ROY)

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| a) Era Jadi Jane | - | Kamini Roy |
| b) Jiban Bandana | - | Kaji Najrul Islam |
| c) Aar Kichhu nahi Sadh | - | Budhadev Basu |
| d) Purano Kagojer Feriwala | - | Premendra Mitra |
| e) Hat | - | Jatindranath Sen Gupta (Kabita Sankalan) |

PROSE:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| a) Krishnakanter will | - | Bankim Chandra Chattopadhyay |
| b) Pather Panchali | - | Bibhuti Bhushan Bandopadhyay |
| c) Mukut (Drama) | - | Rabindranath Thakur |
| d) Sajano Bagan (Drama) | - | Manoj Mitra |
| e) Sahityer Rup O Reeti: | | |

Mahakabya, Geetikabya, Tragedy, Comedy.

Literary Essay:-

1. Micheal Madhu Sudan Dutta
2. Bankim Chandra Chattopadhyay
3. Rabindranath Thakur
4. Sharat Chandra Chattopadhyay
5. Kaji Nazrul Islam
6. Bibhuti Bhushan Bandopadhyay
7. Tarashankar Bandopadhyay
8. Jibonanando Das

कुँडुख

खण्ड—क

कथअइनः— तोडन अख'आ, पिंजका, उइजी पिंजका, मेःद, गनया, ननतु'उद, गुणखी, परिया, ननना (नलड), समका, अव्यय, वाच्य, बकपून ही डाड़ा, बिड़दो बक्क, संगी बक्क।

खण्ड —ख

पद्य साहित्य

1) **डंडी** — डंडी ही बकसोर, डंडी घी डाड़ा, बेंजा डंडी, करम डंडी, खद्दी डंडी, असारी डंडी, धुड़िया डंडी, जदुरा डंडी, जतरा डंडी, लुझकी डंडी, तोःकना डंडी, जेठे डंडी।

2) **कथडंडी :**

टीप :

1) परिदका जातियर	6) जिया खोदखर'ई
2) असारी करम	7) छोटानागपुर
3) अचरन ची अयंग	8) खेखेल खजंपा
4) खेखलन कम'आ सोना	9) जूःडी
5) अड़खा—चेखेल	10) नीन जूःडी

खण्ड —ग

गद्य साहित्य

1) **खीरी :**

टीप:

1) असुरर दरा लोधरर	(6) पुरखर गहि कुंडी
2) कुँडखर गहि रुइदास ती भोंगना	7) चन्दो अरा बीःडी
3) मुन्धता कुँडखर गहि खीरी	8) मानी गहि दिन जीत मनी
4) चिच्च—चेंप	9) कुँडखर गहि नेग धरम
5) करमस अरा धरमस	(10) लूर मलका देवान

2) **कथ खीरी :**

टीप :

1) अंजेला	(5) झरियो मला झरना
2) पचगी परिया	6) ठक'उर उन्दुल ठकरनर
3) कुकोय बरात	7) उढ़ारी
4) लॉटरी	8) सक्क

3) **लीला (नाटक)**

4) **कथपंडी कथटूड**

उराँव साहित्यकार—

• डॉ० निर्मल मिंज	• डॉ० हरि उराँव	• दवले कुजूर	• अहलाद तिंकी
• इन्द्रजीत उराँव	• बिहारी लकड़ा	• बेचन उराँव	• पी०सी० बेक

हिन्दी

1. भाषा

हिन्दी की उत्पत्ति

पुरानी हिन्दी अवहट्ट

डिंगल

भाषा के विभिन्न रूप :- रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा, संचार भाषा ।

हिन्दी का शब्द भंडार:- तत्सम्, तद्भव, देशज, विदेशज ।

भाषा विज्ञान :- भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, घनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन ।

साहित्य सिद्धान्त :- काव्य-लक्षण, काव्य-हेतु, काव्य-प्रयोजन, शब्द-शक्ति, रस, छंद, अंलकार ।

पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्त:-प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आइ०ए० रिचर्ड्स, टी०एस, इलियट के सिद्धान्त ।

प्रयोजनमूलक हिन्दी :- अवधारणा, प्रशासनिक हिन्दी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन ।

2. साहित्य

(क) काव्य

निर्धारित कवि- विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण ।

(ख) काव्य वीथि

निर्धारित कवि- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल ।

3. उपन्यास

क. गोदान — प्रेमचन्द ।

- ख. मैला आँचल – फणीश्वर नाथ रेणु।
ग. रागदरबारी – श्रीलाल शुक्ल।

4. कहानियाँ

- क. मधुआ – जयशंकर प्रसाद
ख. ठाकुर का कुआँ – प्रेमचन्द
ग. नीलम देश की राजकन्या— जैनेन्द्र कुमार
घ. परिन्दे – निर्मल वर्मा
ङ. दिल्ली में एक मौत— कमलेश्वर
च. वापसी – उषा प्रियवंदा
छ. अभिशप्त – यशपाल
ज. मिसपाल – मोहन राकेश

5. नाटक

- क. भारत—दुदर्शा— भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
ख. ध्रुव स्वामिनी— जयशंकर प्रसाद
ग. आधे— अधूरे— मोहन राकेश

हिन्दी साहित्य का इतिहास—

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास— रामचन्द्र शुक्ल
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास— सं० डॉ० नागेन्द्र

व्याकरण :— संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे।

English Language and Literature

1. Language
 - I. Error Recognition
 - II. Fill in the Blanks
 - III. Vocabulary
 - IV. Spellings
 - V. Grammar- Adjective, noun, pronoun, verb, subject-verb Agreement, Interchangeability of noun and Verb, Gerund, Participle, Infinitive, Adverb, tense, Clause, Transformation, Narration, Voice, Preposition.
 - VI. Sentence Structure
 - VII. Synonyms
 - VIII. Antonyms
 - IX. Sentence Completion
 - X. Idioms & Phrases
 - XI. Comprehension Passage etc.
2. Literature
 - **Novel-** Old man and the Sea- Earnest Hemingway; The Painter of signs- R.K. Narayan; The Power and the Glory- Graham Greene; Fasting, Feasting- Anita Desai
 - **Drama-** The Tempest- William Shakespeare; Dr. Faustus- Christopher Marlowe; Final Solutions- Mahesh Dattani, Hayavadana- Girish Karnard.
 - **Poetry-** Sonnet-29- William Shakespeare; The Rainbow- William Wordsworth; The Traveller- Walter De La Mare; Lead Kindly Light- Cardinal Newman; the Splendour Falls- Alfred Lord Tennyson; Ode

to a Nightingale - John Keats; The Hollow Men- T.s. Eliot; Telephone conversation- Wole soyinka; A River- A.K. Ramanujan

- **Short Stories-** A Snake in the Grass- R.K. Narayan; The Castaway- Rabindranath Tagore; The man of the House- Frank O'Connor; The Flood- Kamala Markandaya; The country of the Blind- H.G. Wells; The basement Room- Graham Greene.
- **Essay-** Voluntary Poverty- M.K. Gandhi; Discipline for Daily Life- Lewis Mumford; The Civilization of To-day- C.E.M. Joad; Letter to a Teacher- Nora Rossi and Tom Cole (Trans.); Kamala Nehru- Jawaharlal Nehru.
- **History of the English Language :** A History of English Lanaguage- A.C. Baugh, Origins of the English Language- Joseph Willies.
- **Phonetics** - A Text Book of English Phonetics for Indian students- Balasubramaniam, A Course in Phonetics - P. Ladefoged.

संस्कृत भाषा

1. भाषा विज्ञान,
2. संस्कृत साहित्य का इतिहास,
3. वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, आख्यक, उपनिषद्)
4. वेदाङ्ग, (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द)
5. व्याकरण – स्वर-व्यंजन, वर्ण, स्वर, ध्वनि, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, कृत् प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, सन्धि, समास तथा वाक्य रचना पर आधारित होंगे।

पूर्वमेध (कालिदास), उत्तररामचरित (भवभूति), अभिज्ञान शाकुन्तलम् (चतुर्थ अंक), कादम्बरी (शुक नाशोपदेश), भिक्षुपाल वद्य (प्रथम सर्ग), किरातार्जुनीयम् (प्रथम सर्ग) तथा शिवराज विजय ग्रन्थों से भी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

शब्द रूप निम्न शब्दों के (सातों विभक्तियों में)

बालक, लता, नदी, मुनि, गुणिन्, साधु, भवत्, अस्मद्, युस्मद्, तत् (तीनों लिङ्गों में), सर्व, युवती, लेखनी, रेणु, पयस्, वस्तु तथा आत्मन्।

धातु रूप (लट्, लोट्, विधि लिङ्ग, लङ् तथा लृट् लकारों में)

पठ्, गम्, दृश्, पा, हन्, भू, अस्, नृत्, लिख्, दिश्, मुच, स्था, यच्छ, शच्, तथा अर्च्।